गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

I.S.O.-9001-2008 एवं I.S.O.-14001-2004 प्रमाणित संस्था

पत्रांक सं0– 415 /प्रवर्तन खण्ड जोन–6/2015 दिनांकः– 20-10-2015

शमन मानचित्र के खसरा नं0–304, 294, 295 व 296 ग्राम प्रहलादगढी व खसरा सं0–194 मकनपुर रामप्रस्था वैशाली गाजियाबाद हेतु :–

शर्तें/प्रतिबन्ध :–

1– प्रश्नगत स्थल पर पूर्व स्वीकृत मानचित्र सं0–1594/THA/GH/2010–11 दिनांक 07.06.2015 के समय लागू सभी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पालन सुनिश्चित करना निवार्य होगा।

2– निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त अध्यासन से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लेना होगा।

3– पर्यावरण विभाग विभाग की एन0ओ0सी0 प्रस्तुत की गई है। उसके मानक/शर्तों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।

4– उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की एन0ओ0सी0 अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी।

5– विद्युत विभाग से हाईटेंशन लाईन के सम्बन्ध में एन0ओ0सी0 अप्राप्त है। उसे एक माह में प्रस्तुत करना होगा।

6– भूखण्ड के सम्मुख स्थित 100 मीटर मास्टर प्लान रोड एवं मास्टर प्लान रोड से प्रश्नगत स्थल के मध्य 75 मीटर ग्रीन बैल्ट को अवरोध मुक्त रखना अनिवार्य होगा।

7– स्ट्रक्चरल इंजीनियर से संरचना सुरक्षा व भूकम्परोधी स्ट्रक्चर होने का निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8– रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान नियमानुसार अनिवार्य रूप से करना होगा।

9– सी0एस0आर0 के नियमों का पालन करना होगा।

10– शमन मानचित्र के साथ प्रस्तुतत शपथ पत्र के सभी बिन्दुओं का अनिवार्य रूप सेपालनकरना होगा।

11– स्वामित्व के सम्बन्ध में विवाद अथवा स्वामित्व गलत पाये जाने पर स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

12– जमा शमन शुल्क के अलावा बकाया बाहय विकास शुल्क व अन्य शुल्क के मद में रू0 8,37,36 940.00 को दो वर्ष के चार छमाही किस्तों में दिनांक 25.12.2015 से 25.06.2017 तक ब्याज सहित अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। अन्यथा स्वीकृत शमन मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

13– किस्त समय से जमा न किये जाने पर नियमानुसार विलम्ब ब्याज देय होगा।

14– किस्तों का भुगतान समयान्तर्गत जमा न होने पर भूमि/भवन को विक्रय कर व वसूली का अधिकार प्राधिकरण का होगा, यदि विक्रय से पूर्ण धनराशि की प्राप्ति नहीं होती है तो अवशेष धनराशि बिल्डर के अन्य सम्पत्ति को विक्रय कर अथवा भू–राजस्व के बकाया के रूप में नियमानुसार वसूली की जायेगी।

15– यदि दो किश्तों का भुगतान समयान्तर्गत नहीं किया जाता है तो प्राधिकरण को मानचित्र निरस्त कर परिसर को सील करने का अधिकार होगा

20/10/15

अवर अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

472